(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए , गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए , लुबरीज़ोल इण्डिया लिमिटेड, मुंबई का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iv) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, असम का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(ii) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(iii) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और बोंगाई गांव रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(iv) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(v) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

III. I. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) पैराफिन मोम (आपूर्ति, वितरण तथा कीमत नियतन) आदेश, 1997 को विखंडित करने वाली का॰ आ॰ 271(अ) दिनांक 31 मार्च, 1998।

(ii) भट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा संवितरण) संशोधन आदेश, 1998 को प्रकाशित करने वाली का॰ आ॰ 137(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1998।

(iii) भट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा संवितरण) (संशोधन) आदेश, 1997 को प्रकाशित करने वाली का॰ आ॰ 623(अ) दिनांक 2 सितम्बर, 1997।

II. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1997 को प्रकाशित करने वाली सा॰ का॰ नि॰ 40(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1998।

(ii) तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा॰ का॰ नि॰ 128(अ) दिनांक 10 मार्च, 1998।

I. Report & Accounts (1996-97) of Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (IREDA), New Delhi & related Papers.

II. Report & Accounts (1996-97) of Institute of Economic Growth Development Planning Centre, New Delhi & related Papers.

III. Memorandum & Understanding between Govt. of India and Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME (SHRI RAM NAIK): Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956:—

(i) Tenth Annual Report and Accounts of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the Working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the Institute of Economic Growth Development Planning Centre, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

III. Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) and Indian Renewable Energy Development Agency Limited, for the year 1997-98.

I. Report & Accounts (1993-94) and (1994-95) of the Lakshadweep Development Corpn. Ltd. Agalti. Lakshadweep and related Papers.

II. Report & Accounts (1996-97) of the Goa Meat Complex Ltd., Panaji and related Papers.

III. Report & Accounts (1994-95) and (1995-96) of the Jammu and Kashmir State Sheep and Sheep Products Development Board Srinagar and related Papers.

IV. Report & Accounts (1996-97) of the Narmada Central Authority, Indore and related Papers.

V. Notification of the Ministry of Agriculture.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) (क) 1993-94 के वर्ष के लिए लक्षद्वीप डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगत्ती, लक्षद्वीप का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ii) (क) 1994-95 के वर्ष के लिए लक्षद्वीप डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगत्ती, लक्षद्वीप का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

II. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर